माल की आपूर्ति के लिए C&A आचार संहिता

ध्यान दें: यह अंग्रेज़ी पाठ का अनुवाद है। मूल अंग्रेजी संस्करण क़ानूनी रूप से बाध्यकारी दस्तावेज है।

- अप्रैल 2015 -

परिचय

C&A का व्यापार मॉडल किफ़ायती क़ीमत पर उच्च गुणवत्ता वाले फ़ैशन उत्पादों को उपलब्ध कराना है।

हम व्यापार की सत्यनिष्ठा के उच्च मानकों का पालन करते हुए, लोगों और पर्यावरण के प्रति सम्मान के साथ, संवहनीय मार्ग से ऐसा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हमारा यह दृढ़ विश्वास है कि यही एकमात्र रास्ता है जिस पर चल कर C&A और उसके आपूर्तिकर्ता लंबे समय तक सफलता बनाए रख सकते हैं।

माल की आपूर्ति संबंधी आचार संहिता ('आचार संहिता') क़ानूनी अनुपालन, श्रम प्रथाएँ, पर्यावरण निष्पादन, और भ्रष्टाचार-विरोध के बारे में आपूर्तिकर्ताओं से C&A की उम्मीदों को वर्णित करती है। गुणवत्ता मानक, उत्पाद मानक, और वितरण निर्देश जैसे अन्य मामलों से संबंधित अपेक्षाओं का अन्य नीतियों और दिशा निर्देशों में समाधान किया गया है। आचार संहिता की आवश्यकताओं को आगे आचार संहिता के सहायक दिशानिर्देश में समझाया गया है।

आवश्यकताएँ C&A[1] के लिए माल का उत्पादन करने वाले सभी आपूर्तिकर्ताओं पर लागू होती हैं। यह ध्यान करना महत्वपूर्ण है कि आचार संहिता के प्रावधान अधिकतम नहीं, बल्कि न्यूनतम मानकों का गठन करते हैं। C&A की आपूर्तिकर्ताओं से अपेक्षा है कि वे कामकाजी परिस्थितियों और पर्यावरण निष्पादन में निरंतर सुधार को अपना लक्ष्य बनाएँ।

---

1. उत्पादन इकाइयाँ, अनुषंगी कंपनियाँ, सहयोगी, और एजेंट भी शामिल है। आवश्यकताएँ न केवल **C&A** के उत्पादन के लिए, बल्कि किसी अन्य तीसरे पक्ष के लिए भी लागू होंगी।

आवश्यकताएँ

C&A यू.एन. ग्लोबल काम्पैक्ट के दस सिद्धांतों का पालन करता है। C&A की आपूर्तिकर्ताओं से अपेक्षा है कि वे जिम्मेदार ढंग से अपने कार्यो को संचालित करने, और लोगों तथा पर्यावरण की रक्षा के लिए हर संभव प्रयास करें। नीचे दी गई तालिका आचार संहिता की अपेक्षाओं का सारांश प्रदान करती है।

आवश्यकताओं का सारांश	
1. क़ानूनी अनुपालन	• राष्ट्रीय और अन्य लागू क़ानून का हर समय अनुपालन • बौद्धिक संपदा अधिकारों के लिए सम्मान
2. श्रम	• कोई बाल श्रमिक नहीं • रोजगार में कोई भेदभाव नहीं • कोई बंधुआ श्रमिक नहीं • संघीय स्वतंत्रता और सामूहिक सौदेबाजी के लिए सम्मान • कोई निष्ठुर या अमानवीय व्यवहार नहीं • सुरक्षित और स्वच्छ कामकाजी माहौल • अतिसंवेदनशील समूहों पर विशेष ध्यान • नियमित रोजगार • जीविन-यापन मजदूरी का समय पर भुगतान, • कोई अत्यधिक काम के घंटे नहीं
3. पर्यावरण	• क़ानूनी आवश्यकताओं का अनुपालन • पर्यावरण निष्पादन का प्रबंधन • ऊर्जा और पानी की क्षमता में सुधार • वातावरण में कचरे और उत्सर्जन की कमी • आपूर्ति श्रृंखला में ख़तरनाक रसायनों की कमी
4. भ्रष्टाचार-विरोध	• कोई रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार नहीं

1. क़ानूनी अनुपालन

- आपूर्तिकर्ताओं को लागू होने वाले राष्ट्रीय और अन्य क़ानूनों का हर समय पालन करना चाहिए।
- जहाँ क़ानून के प्रावधान और आचार संहिता एक ही विषय का समाधान कर रहे हों, आपूर्तिकर्ताओं को चाहिए कि वे ऐसे प्रावधान लागू करें जो कार्यकर्ताओं या पर्यावरण को अधिकाधिक संरक्षण देता हो।
- आपूर्तिकर्ताओं को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बौद्धिक संपदा अधिकारों का सम्मान हो, और अवैध प्रतियों की पेशकश, उत्पादन न किया जाए।

2. श्रम

इस खंड में आवश्यकताएँ अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन, वैश्विक सामाजिक अनुपालन कार्यक्रम, और नैतिक व्यापार पहल आधार कोड के मानकों पर आधारित हैं।

C&A मानव अधिकारों का सम्मान करता है, और मानव अधिकारों के दुरुपयोग में भागीदारी से बचने की अपेक्षा रखता है। C&A आपूर्तिकर्ताओं से अपेक्षा रखता है कि वे श्रमिकों के मानव अधिकारों का सम्मान करें, और इस खंड की आवश्यकताओं का पालन करें।

2.1. बाल श्रम

- अनिवार्य शिक्षा के नियमों सहित श्रमिकों की उम्र कम से कम 16 वर्ष या अधिक होनी चाहिए, यदि स्थानीय क़ानून द्वारा अपेक्षित हो।
- ख़तरनाक काम या रात में काम करने वाले श्रमिकों की उम्र कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए।

2.2. भेदभाव

- आपूर्तिकर्ताओं को रोज़गार[2] में भेदभाव नहीं दिखाना चाहिए, उसका समर्थन या उसे बर्दाश्त नहीं करना चाहिए।
- कार्यकर्ताओं के बीच फ़र्क करने का एकमात्र आधार, व्यक्तिगत विशेषताएँ[3] नहीं बल्कि काम करने की क्षमता और इच्छा होनी चाहिए।

2.3. बंधुआ मजदूरी

- मजदूरों को स्वैच्छिक आधार पर अपना काम करना चाहिए, जिसका मतलब है कि अनुबंधित, ठेके पर, और जेल श्रम सहित बंधुआ श्रम के सभी रूप निषिद्ध हैं।
- आपूर्तिकर्ताओं द्वारा जमाराशि की आवश्यकता पर ज़ोर देना, पहचान दस्तावेजों को धारित करना, या मजदूरी रोक रखना जैसे कार्यों द्वारा रोज़गार के स्वतंत्र चयन का अतिक्रमण नहीं करना चाहिए।
- आपूर्तिकर्ता, श्रमिकों को उचित नोटिस देने के बाद अपने रोजगार अनुबंध को समाप्त करने की अनुमति देनी चाहिए।

2. भर्ती, भाड़े पर रखना, प्रशिक्षण, कामकाजी स्थितियाँ, नौकरी पर नियुक्ति, मुआवजा, प्रोन्नति, अनुशासन, सेवा-समापन और सेवानिवृत्ति सहित।
3. इस तरह की व्यक्तिगत विशेषताओं में शामिल हैं, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं: लिंग, आयु, धर्म, वैवाहिक स्थिति, मूलवंश, जाति, सामाजिक पृष्ठभूमि, रोग, विकलांगता, गर्भावस्था, जातीय और राष्ट्रीय मूल, राष्ट्रीयता, ट्रेड यूनियनों सहित कार्यकर्ता संगठनों में सदस्यता, राजनीतिक संबद्धता और यौन अभिविन्यास।

2.4. संघ की स्वतंत्रता

- आपूर्तिकर्ताओं द्वारा कार्यकर्ता प्रतिनिधित्व करने की दिशा में एक मुक्त और सहयोगात्मक रवैया अपनाना चाहिए, श्रमिकों को अपने मनपसंद ट्रेड यूनियन का गठन करने या उसमें शामिल होने और सामूहिक रूप से सौदेबाजी करने की अनुमति देनी चाहिए।

- आपूर्तिकर्ताओं द्वारा कार्यकर्ता प्रतिनिधियों को उनके प्रतिनिधि कार्यों को पूरा करने के क्रम में कार्यस्थल तक पहुँच प्रदान किया जाना चाहिए।

- जहाँ संघ की स्वतंत्रता का अधिकार और सामूहिक सौदेबाजी क़ानून द्वारा प्रतिबंधित है, आपूर्तिकर्ताओं को चाहिए कि वे कर्मचारियों के प्रतिनिधित्व और बातचीत के वैकल्पिक रूपों की स्थापना में बाधा न डालें, बल्कि उसे सुगम करें।

- आपूर्तिकर्ताओं द्वारा आंतरिक औद्योगिक विवादों और कर्मचारियों की शिकायतों को हल करने के लिए प्रभावी शिकायत तंत्र लागू किया जाना चाहिए।

2.5. निष्ठुर और अमानवीय व्यवहार

- आपूर्तिकर्ताओं को श्रमिकों के साथ गरिमा और सम्मान के साथ व्यवहार करना चाहिए, और बदमाशी, उत्पीड़न[4], धमकी, हिंसा, शारीरिक दंड या किसी भी तरह[5] के दुरुपयोग में शामिल नहीं होना चाहिए या उन्हें बर्दाश्त नहीं करना चाहिए।

- आपूर्तिकर्ताओं को लिखित अनुशासनात्मक प्रक्रिया स्थापित करनी चाहिए, उन्हें अपने कार्यकर्ताओं को स्पष्ट शब्दों में समझाना चाहिए, और सभी अनुशासनात्मक कार्रवाई का एक रिकॉर्ड रखना चाहिए।

- आपूर्तिकर्ता को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अनुशासनात्मक कार्रवाइयाँ आनुपातिक हैं, और इनमें शारीरिक या मानसिक दंड शामिल नहीं हैं।

2.6. स्वास्थ्य और सुरक्षा

- आपूर्तिकर्ताओं द्वारा पर्याप्त रोशनी, हीटिंग, और वेंटिलेशन के साथ काम करने के लिए एक सुरक्षित और स्वच्छ जगह उपलब्ध करानी चाहिए।

- आपूर्तिकर्ताओं द्वारा रसायनों का सुरक्षित संचालन और भंडारण, सुरक्षित मशीनरी तथा उपकरण, विद्युत सुरक्षा, प्रदान की गई आवासीय सुविधाओं सहित इमारतों की सुरक्षा, शक्ति और स्थिरता सुनिश्चित करते हुए, और आग के प्रति पर्याप्त सुरक्षा उपाय प्रदान करते हुए, काम के दौरान होने वाली दुर्घटनाओं और स्वास्थ्य संबंधी चोट को रोकने के लिए सावधानी बरतनी चाहिए।

- आपूर्तिकर्ताओं द्वारा श्रमिकों को अग्नि सुरक्षा प्रशिक्षण, अपशिष्ट प्रबंधन प्रशिक्षण और रसायनों तथा अन्य ख़तरनाक सामग्री के संचालन में प्रशिक्षण सहित नियमित रूप से स्वास्थ्य और सुरक्षा में प्रशिक्षण प्रदान किया जाना चाहिए।

- आपूर्तिकर्ताओं द्वारा स्वच्छ शौचालय की सुविधा, पीने योग्य पानी, और यदि लागू हो, तो भोजन तैयार करने और भंडारण के लिए स्वच्छ सुविधाएँ उपलब्ध कराना चाहिए।

- जहाँ शयनगृह प्रदान किए गए हों, उन्हें स्वच्छ, सुरक्षित रखना चाहिए, और वे श्रमिकों की बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करने वाले होना चाहिए।

2.7. अतिसंवेदनशील व्यक्तियों की रक्षा

- आपूर्तिकर्ताओं द्वारा महिलाओं, घरेलू श्रमिकों, एजेंसी कार्यकर्ताओं, अस्थायी कर्मचारियों, और प्रवासी श्रमिकों जैसी अनुचित श्रम प्रथाओं के प्रति अतिसंवेदनशील लोगों के अधिकारों पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए।

- घरेलू श्रमिकों को नियोजित करने वाले आपूर्तिकर्ताओं द्वारा घरेलू श्रमिकों के उपयोग के लिए C&A दिशानिर्देशों का पालन किया जाना चाहिए, जिन्हें आचार संहिता के समर्थक दिशानिर्देशों में शामिल किया गया है।

---

4. यौन उत्पीड़न सहित।
5. शारीरिक, मानसिक, और मौखिक अपशब्दों सहित।

2.8. नियमित रोजगार

- आपूर्तिकर्ताओं को राष्ट्रीय क़ानून और व्यवहार के माध्यम से स्थापित मान्यता प्राप्त रोजगार संबंधों के आधार पर कामगारों को नियुक्त करना चाहिए।
- आपूर्तिकर्ताओं को ऐसे रिश्ते[6] से उत्पन्न होने वाले क़ानूनी दायित्वों से बचने का प्रयास नहीं करना चाहिए।

2.9. मजदूरी

- आपूर्तिकर्ताओं द्वारा मजदूरी, ओवरटाइम भुगतान, लाभ और वैतनिक अवकाश का भुगतान करके श्रमिकों की क्षतिपूर्ति की जानी चाहिए।
- आपूर्तिकर्ताओं द्वारा श्रमिकों को सभी ओवरटाइम के लिए प्रीमियम दर पर, जो नियमित दर के 125% से कम न हो, या क़ानून द्वारा अपेक्षित होने की स्थिति में उच्चतम दर पर मुआवज़ा देना चाहिए।
- मजदूरी और मुआवज़े का नियमित रूप से और समय पर भुगतान किया जाना चाहिए, और वह बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करने और श्रमिकों तथा उनके परिवारों के लिए कुछ विवेकगत आय प्रदान करने हेतु पर्याप्त होना चाहिए।
- आपूर्तिकर्ताओं को मजदूरी से कोई ऐसी कटौती नहीं करनी चाहिए जिनके लिए राष्ट्रीय क़ानून, या अनुशासनात्मक उपाय के रूप में प्रावधान नहीं किया गया है।
- आपूर्तिकर्ताओं द्वारा श्रमिकों को नियोजन की शुरुआत से पहले, मजदूरी सहित रोजगार की स्थिति के बारे में, और जब कभी उनको भुगतान किया जाए, तब मजदूरी के विवरण लिखित और समझने योग्य रूप में प्रदान करना चाहिए।

2.10. कार्य-समय

- आपूर्तिकर्ताओं द्वारा संख्या में, ओवरटाइम को छोड़कर, अधिकतम 48 घंटे प्रति सप्ताह होते हुए, अनुबंध द्वारा मानक कार्य समय को परिभाषित करना होगा, जो राष्ट्रीय क़ानून या सामूहिक समझौतों के अनुरूप हो।
- आपूर्तिकर्ताओं द्वारा जिम्मेदारी से ओवरटाइम कार्य का उपयोग करना चाहिए, नियमित आधार पर ओवरटाइम कार्य का अनुरोध नहीं करना चाहिए, और स्वीकार करना चाहिए कि ओवरटाइम स्वैच्छिक है, और इसलिए कामगारों को ओवरटाइम के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए।
- कार्य-समय वास्तविक असाधारण, अप्रत्याशित परिस्थितियों[7] को छोड़कर किसी सात दिन की अवधि में 60 घंटे से अधिक नहीं हो सकता है।
- आपूर्तिकर्ताओं द्वारा श्रमिकों को विराम लेने, हर सात दिन की अवधि में कम से कम एक दिन छुट्टी लेने, तथा सांविधिक छुट्टियाँ लेने की अनुमति देनी चाहिए।

---

6. उदाहरण के लिए, अनुचित तरीके से शिक्षुता योजनाएँ या निर्धारित अवधि के अनुबंधों के अत्यधिक उपयोग को लागू करके।
7. मानक कार्य-समय के लिए, अर्थात् ओवरटाइम के बिना।
8. और केवल जब निम्न सभी स्थितियों की पूर्ति हो: 1) राष्ट्रीय क़ानून द्वारा अनुमत, 2) सामूहिक समझौते द्वारा अनुमत, और 3) मजदूरों के स्वास्थ्य की रक्षा और सुरक्षा के लिए उपाय किए गए हों।
9. या हर 14 दिन की अवधि में दो दिन की छुट्टी, जहाँ राष्ट्रीय क़ानून द्वारा अनुमत हो।

3. पर्यावरण

C&A का मानना है कि कुशल पर्यावरण निष्पादन उद्योग की भावी सफलता की पूर्वापेक्षा है। इसलिए, समय के साथ, C&A की अपेक्षा है कि आपूर्तिकर्ता अनुपालन से परे जाएँ और सक्रिय रूप से पर्यावरण निष्पादन प्रबंधित करें। जहाँ ज़रूरी हो, C&A आपूर्तिकर्ताओं के साथ मिलकर काम करेगा ताकि उन्हें अनुपालन लक्ष्य हासिल करने में मदद कर सके।

3.1. क़ानूनी अनुपालन

- आपूर्तिकर्ताओं को सभी प्रासंगिक स्थानीय और राष्ट्रीय पर्यावरण संरक्षण क़ानूनों और नियमों का पालन करना चाहिए, और अंतरराष्ट्रीय पर्यावरण संरक्षण के मानकों को पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए।
- आपूर्तिकर्ताओं द्वारा सभी आवश्यक पर्यावरण परमिट प्राप्त करना चाहिए, और उन्हें अद्यतन रखना चाहिए।

3.2. पर्यावरण निष्पादन प्रबंधन

- आपूर्तिकर्ताओं के पास एक पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली[9] होनी[10] चाहिए, और किसी वरिष्ठ प्रबंधन प्रतिनिधि को पर्यावरण निष्पादन की जिम्मेदारी आबंटित करनी चाहिए।
- आपूर्तिकर्ताओं को ऊर्जा तथा पानी का उपयोग, पर्यावरण में उत्सर्जन और निस्सरण तथा कचरे का निपटान मापना चाहिए, तथा C&A के अनुरोध पर इस जानकारी का खुलासा करना चाहिए।
- आपूर्तिकर्ताओं को पर्यावरणीय प्रभाव को व्यापार निर्णयों में एकीकृत करना चाहिए, पर्यावरण के निष्पादन में सुधार की दिशा में प्रगतिशील दृष्टिकोण अपनाना चाहिए, और उनके आपूर्तिकर्ताओं और उप-ठेकेदारों से भी यही अपेक्षा रखनी चाहिए।

3.3. संसाधन का उपयोग और जलवायु परिवर्तन

- आपूर्तिकर्ताओं को लगातार भवन, परिवहन और उत्पादन में ऊर्जा दक्षता के सुधार के लिए क़दम उठाना चाहिए, और नवीकरणीय या कम सघन कार्बन ऊर्जा स्रोतों का उपयोग करने के लिए उचित प्रयास करना चाहिए।
- आर्द्र प्रक्रियाओं के साथ संचालन करने वाले आपूर्तिकर्ताओं को लगातार पानी की क्षमता में सुधार के लिए क़दम उठाने चाहिए।
- आपूर्तिकर्ताओं को यह सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रयास करना चाहिए कि उनकी ख़रीदारी के निर्णय वनों की कटाई, पशुओं के साथ क्रूर व्यवहार या कमजोर पारिस्थितिकी प्रणालियों या लुप्तप्राय प्रजातियों[11] पर प्रतिकूल प्रभाव में योगदान नहीं दे रहा है।

---

10. पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली मापने, प्रबंधित करने, और पर्यावरण निष्पादन रिपोर्ट करने के लिए लिखित नीतियों, योजना उपकरण, और प्रक्रियाओं का सेट है।
11. CITES और IUCN लाल सूची द्वारा परिभाषित रूप में।

3.4. अपशिष्ट और उत्सर्जन

- आपूर्तिकर्ताओं द्वारा डिज़ाइन और परिचालन दक्षता के माध्यम से कचरे को कम करने, और जहाँ संभव हो, पुनः प्रयोग और पुनर्चक्रण की सुविधा के लिए क़दम उठाने चाहिए।
- आपूर्तिकर्ताओं द्वारा अपशिष्ट जल को प्रवाहित करने से पहले उसका उपचार करना चाहिए, सभी राष्ट्रीय और स्थानीय जल निस्सरण अनुपालन मानकों की पूर्ति के लिए आवश्यक के रूप में अपशिष्ट जल का परीक्षण करवाना चाहिए, और C&A के अनुरोध पर, हितधारकों के साथ अपशिष्ट जल गुणवत्ता डेटा साझा करना चाहिए।
- आपूर्तिकर्ता द्वारा शोर प्रदूषण और वायु, मिट्टी, तथा भूमिगत जल में उत्सर्जन को कम करने के लिए क़दम उठाने चाहिए।

3.5. ख़तरनाक रसायन

- आपूर्तिकर्ताओं को आपूर्ति श्रृंखला से ख़तरनाक पदार्थों के उन्मूलन की दिशा में C&A और स्वयं अपने आपूर्तिकर्ताओं के साथ काम करना चाहिए।

4. भ्रष्टाचार-विरोध

C&A की आपूर्तिकर्ताओं से अपेक्षा है कि वे व्यावसायिक प्रथाओं में उच्च नैतिक मानकों का पालन करें।पालन करें।

- आपूर्तिकर्ताओं द्वारा लागू होने वाले सभी रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार विरोधी क़ानूनों का पालन करना चाहिए।
- आपूर्तिकर्ताओं द्वारा सुविधा भुगतान सहित रिश्वत की पेशकश, भुगतान, माँग या स्वीकार नहीं करना चाहिए।
- आपूर्तिकर्ताओं के पास एक भ्रष्टाचार विरोधी नीति और प्रक्रिया होनी चाहिए, और यह सुनिश्चित करने के लिए उनकी नियमित रूप से समीक्षा करना चाहिए कि वे प्रभावी ढंग से काम कर रहे हैं।

आचार संहिता का अनुपालन सुनिश्चित करना

C&A की मान्यता है कि आचार संहिता की अपेक्षाओं का संपूर्ण अनुपालन हासिल करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन उसका विश्वास है कि यह C&A और उसके आपूर्तिकर्ता, दोनों की भावी व्यावसायिक सफलता के लिए महत्वपूर्ण है।

आचार संहिता का पालन करना हमारे गुणवत्ता मानकों या वितरण शर्तों को पूरा करने की तुलना में कम महत्वपूर्ण नहीं है।

C&A, ऐसे आपूर्तिकर्ताओं के साथ काम करने के लिए गंभीर प्रयास करेगा, जो खुले, ईमानदार और सतत सुधार के लिए प्रतिबद्ध हैं, और वह अपेक्षाओं को पूरा करने में उनकी सहायता करेगा।

1. निष्पादन प्रबंधन

- आपूर्तिकर्ताओं के पास आचार संहिता संबंधी अनुपालन के सक्रिय प्रबंधन के लिए एक प्रभावी प्रबंधन प्रणाली होनी चाहिए, और किसी वरिष्ठ प्रबंधन प्रतिनिधि को अनुपालन की जिम्मेदारी आबंटित करनी चाहिए।
- आपूर्तिकर्ताओं द्वारा कर्मचारियों को आचार संहिता की आवश्यकताओं के बारे में जागरूक करना चाहिए, और अपने प्रबंधकों और पर्यवेक्षकों को प्रशिक्षित करना चाहिए कि उन्हें कैसे हासिल किया जा सकता है।
- आपूर्तिकर्ताओं द्वारा नियमित आधार पर आंतरिक मूल्यांकन संचालित किया जाना चाहिए।
- आपूर्तिकर्ताओं को सभी उत्पादन इकाइयों के लिए, चाहे स्वामित्व वाली हों या उप-पट्टे पर हों, उत्पादन शुरू करने से पहले C&A से अनुमोदन प्राप्त करना होगा। किसी अनधिकृत उत्पादन इकाई का उपयोग सख्त रूप से वर्जित है।
- आपूर्तिकर्ता C&A से लिखित पूर्व सहमति के बिना, उत्पादन प्रक्रिया के किसी भी हिस्से को उपपट्टे पर नहीं दे सकता है, और ऐसा केवल क) उप-ठेकेदार द्वारा आचार संहिता का पालन करने के लिए सहमत होने के बाद, और ख) उप-ठेकेदार लेखा-परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद कर सकता है।
- आपूर्तिकर्ता उप-ठेकेदारों द्वारा आचार संहिता का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार हैं।

2. निगरानी और पारदर्शिता

- आपूर्तिकर्ताओं द्वारा C&A और/या उसके प्रतिनिधियों को घोषित या अघोषित रूप से आकलन निष्पादित करने की अनुमति देनी चाहिए।
- आपूर्तिकर्ताओं को आकलन के दौरान सहयोगी और पारदर्शी होना चाहिए, और श्रमिकों, रिकॉर्ड, कार्य क्षेत्रों तथा शयनागार के लिए, यदि लागू हो, अप्रतिबंधित पहुँच प्रदान करना चाहिए।
- आपूर्तिकर्ताओं द्वारा किसी निजी सेटिंग में कामगार का साक्षात्कार संचालित करने की अनुमति दी जानी चाहिए, और कामगारों को यह नहीं सिखाना चाहिए कि सवालों का जवाब किस प्रकार दिया जाए।
- आपूर्तिकर्ताओं को संपूर्ण और सटीक रिकॉर्ड[12] रखना चाहिए ताकि अनुपालन प्रभावी ढंग से मूल्यांकित किया जा सके, और जानकारी में हेरफेर नहीं करना चाहिए या अपने परिचालनों के किसी भी पहलू को ग़लत ढंग से पेश नहीं करना चाहिए।
- आपूर्तिकर्ताओं द्वारा C&A को तृतीय पक्ष के समक्ष आपूर्तिकर्ताओं तथा उत्पादन इकाइयों के नाम और स्थान, साथ ही, आचार संहिता के अधीन उनके निष्पादन से संबंधित जानकारी का खुलासा करने की अनुमति देनी चाहिए।
- आपूर्तिकर्ता द्वारा C&A के अनुरोध पर, C&A और/या उसके प्रतिनिधियों को अपने स्वयं के आपूर्तिकर्ताओं और उप-ठेकेदारों को ऑडिट निष्पादित करने के लिए सहायता प्रदान करनी चाहिए।

3. मंजूरियाँ

- C&A में फ़ेयरनेस चैनल नामक एक गोपनीय व्हिसलब्लोइंग सिस्टम मौजूद है, जिसके माध्यम से आपूर्तिकर्ता, कारखाने के कर्मचारी, और C&A के कर्मचारियों सहित सभी हितधारक, C&A के शीर्ष प्रबंधन को किसी अनैतिक व्यवहार और आचार संहिता के उल्लंघन को रिपोर्ट कर सकते हैं।
- आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में, C&A आपूर्तिकर्ता से, यदि आवश्यक हो, तो C&A के समर्थन से एक सुधार योजना विकसित करने, और एक निश्चित समय-सीमा में क्रियान्वित करने के लिए कह सकता है, जो उल्लंघन की प्रकृति के आधार पर भिन्न हो सकता है।
- बाल श्रम, जबरन या जेल श्रम, रिश्वतखोरी, धोखाधड़ी, नकली घटकों के उपयोग, और अनधिकृत उत्पादन इकाइयों के उपयोग सहित ज़बरदस्त उल्लंघनों के मामले में, और/या सहमत सुधार योजनाएँ लागू करने में निरंतर विफलता के मामले में, C&A को बाक़ी आदेशों को रद्द करने के साथ आपूर्तिकर्ता से व्यावसायिक संबंध समाप्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
- C&A उप-ठेकेदार(रों) सहित आपूर्तिकर्ताओं द्वारा आचार संहिता की उल्लंघनों के परिणामस्वरूप होने वाली राजस्व हानि और/या लाभ सहित, C&A की किसी क्षति और व्यय के लिए आपूर्तिकर्ताओं को जिम्मेदार ठहराएगा।

C&A ऐसे आपूर्तिकर्ताओं के साथ दीर्घकालिक संबंधों का निर्माण करना चाहता है, जो सही मायने में बेहतर श्रमिक स्थिति और पर्यावरण निष्पादन की दिशा में साथ मिल कर काम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं, और वे जिन परेशानियों का सामना कर सकते हैं, उनसे निबटने में मदद करने के लिए तैयार है। आचार संहिता के कार्यान्वयन में आगे और स्पष्टीकरण और मार्गदर्शन के लिए, कृपया आचार संहिता के सहायक दिशा-निर्देश को देखें, जिसे नियमित रूप से अपडेट किया जाएगा।

12. उदाहरण के लिए, कार्य-समय रिकॉर्ड और पे-रोल दस्तावेज़।